बिहार विधान-सभा वादवृत्त

बुधवार, तिथि 24 जनवरी, 1990 ई०

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में **बुधवार, तिथि 24 जनवरी, 1990** को पूर्वाह्न 10:15 बजे अध्यक्ष, **श्री मो० हिदायतुल्ला खाँ** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना

दिनांक : 24 जनवरी, 1990

चन्द्रशेखर शर्मा
सचिव
बिहार विधान-सभा।

प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग : (1) उत्तर अस्वीकारात्मक है । मौजा गण्डौल एवं पटौरी का भुगतान कर दिया गया है । नौहट्टा का मूल अभिलेख खो गया है परंतु उपलब्ध अन्य अभिलेखों से ज्ञात होता है कि रैयतों नें भुगतान नहीं लिया इसलिए राशि कोषागार में जमा कर दी गई है । समाहर्ता के समक्ष आवेदन देकर भुगतान प्राप्त कर सकते हैं ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

(3) मूल भुगतान दो मौजों का कर दिया गया है । मौजा गण्डौल का संशोधित दर से देय राशि के अनुपूरक प्राक्कलन पर स्वीकृति प्राप्त की जा रही है ।

सड़क मरम्मत करना

पथ-129. श्री सतीश चंद्र झा : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा-सुपौल पथ में जीरो माईल से आगे तक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है जिसमें सालों भर पानी भरा रहता है, फलस्परूप सवारियों का आवागमन अवरुद्ध है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त गड्ढे को भरवाकर सड़क की मरम्मत कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है । पूर्व में एक गड्ढा हो गया था जिसे झामा मेटल से गड्ढा को भर दिया गया है । यातायात में कठिनाई नहीं है ।

(2) खंड (1) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है ।

अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई+

त्र-211. **श्री सीताराम सिंह :** क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन में 15 और पकड़ीदयाल में 5 नलकूप की मरम्मत के लिए नलकूप प्रमंडल, बेतिया ने सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को अग्रिम राशि 1988 में दिया था;

(2) क्या यह बात सही है कि सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा अब तक किसी भी नलकूप की मरम्मती नहीं कराई गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहायक अभियंताओं एवं कनीय अभियंताओं के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई कब तक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग : (1) वस्तुस्थिति यह है कि नलकूप प्रमंडल, बेतिया द्वारा मोटर पंप एवं नाला